	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 27, गुरूवार, *शाके* 1943–जून 17, 2021 *Jyaistha 27, Thursday, Saka 1943- June 17, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2021

संख्या एफ.27(क)(2)गृह-2/2019 :-राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 6/7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पुलिस जिला अलवर के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं का उपान्तरण करते हुये एतद् द्वारा पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुये निम्नानुसार पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी की अधिकारिता में निम्नलिखित पुलिस थानों के क्षेत्रों को समाविष्ठ करती हैः-

पुलिस जिला अलवर (मुख्यालय: अलवर)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
बानसूर	बानसूर एवं हरसौरा

पुलिस जिला भिवाड़ी (मुख्यालय: भिवाड़ी)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
बहरोड़	बहरोड़ एवं माढ़ण
नीमराना	नीमराना, शाहजहांपुर एवं मुण्डावर

उपरोक्त पुलिस सर्किल का क्षेत्राधिकार उनके आगे अंकित पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार पर होगा एवं पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अलवर एवं उनके अधीनस्थ संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, अन्य संबंधित विधियों एवं पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 70 में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2021

संख्या एफ.27(क)(2)गृह–2/2019 :-राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 6/7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पुलिस जिला अलवर के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं का उपान्तरण करते हुये एतद् द्वारा पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुये निम्नानुसार पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी की अधिकारिता में निम्नलिखित पुलिस थानों के क्षेत्रों को समाविष्ठ करती हैः–

पुलिस जिला अलवर (मुख्यालय : अलवर)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
बानसूर	बानसूर एवं हरसौरा

पुलिस जिला भिवाड़ी (मुख्यालय : भिवाड़ी)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
बहरोड़	बहरोड़ एवं मांढ़ण
नीमराना	नीमराना, शाहजहांपुर एवं मुण्डावर

उपरोक्त पुलिस सर्किल का क्षेत्राधिकार उनके आगे अंकित पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार पर होगा एवं पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अलवर एवं उनके अधीनस्थ संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, अन्य संबंधित विधियों एवं पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 70 में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।